न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/146 दायरा दिनांक : 06.09.2022

उनवान

1 अमरीश पुत्र नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण
2 राजेश पुत्र नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण
3 मधुबाई पुत्री नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण
अकवाम निवासीगण भीमगंजमण्डी, कोटा जं. कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– नवनीत पुत्र रामकिशोर, जाति ब्राहमण
2– स्नेह पुत्री रामकिशोर, जाति ब्राहमण
3– भुवनेश पुत्री रामकिशोर, जाति ब्राहमण
4– करूणा पुत्री रामकिशोर, जाति ब्राहमण
5– अन्नू पुत्री रामकिशोर, जाति ब्राहमण
6– सुरेन्द्र पुत्र भैरूलाल, जाति ब्राहमण
7– नरेन्द्र पुत्र भैरूलाल, जाति ब्राहमण
8– मालती पुत्री भैरूलाल, जाति ब्राहमण
9– संतोष पुत्री भैरूलाल, जाति ब्राहमण
10– आशा पुत्री भैरूलाल, जाति ब्राहमण
अकवाम निवासीगण पाटनपोल, तहसील लाडपुरा, कोटा राज0
11– बीना बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी मुकेश गौतम, जाति ब्राहमण, निवासी बून्दी, जिला बून्दी राज0
12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल एवं श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सुरेन्द्र माहैश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1,2,3,5 लगायत 9 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 659/2017 निर्णय दिनांक 04.08.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, आदेश 23 नियम 1(4) सपठित ऑर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोलाना, पटवार क्षेत्र गोलाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खानपुर, तहसील खानपुर में खसरा नं. 311 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 879 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 882 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 956 रकबा 24 बीघा कुल किता 4 की 45 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता रामकिशोर का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04.08.2022 से प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11, आदेश 23 नियम 1(4) सपठित ऑर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद पत्र सं. 659/2017 खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम–11 की तलबी की स्टेज पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ऑर्डर–7 नियम 11 एवं आदेश 23 नियम 1(4) सपठित आदेश 2 नियम–2 एवं धारा–151 सी. पी. सी. के प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूर्णतया साबित था कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड सहखातेदार हैं परन्तु हाल ख. नं. 956 की 24 बीघा आराजी गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नं. 6 लगायत 10 के पिता भैरूलाल की सहखातेदारी में गलत रूप से खाते दर्ज कर देने से अपीलान्ट द्वारा बंटवारा एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था ऐसी स्थिति में बंटवारे एवं घोषणा के वाद में ऑर्डर–7 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर–7 नियम–11 सी. पी. सी. में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका निर्णय साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकता, अधीनस्थ न्यायालय ने भी दोनों वाद पत्रों का उचित अवलोकन किए बिना निर्णय जेर अपील पारित किया है जबकि दोनों वाद पत्रों में वाद कारण अलग–अलग था एवं पूर्व वाद घोषणा बाबत् था एवं बाद का वाद बंटवारा व घोषणा बाबत् था ऐसी स्थिति में घोषणा व बंटवारे के वाद में ऑर्डर–7 नियम–11 सी. पी. सी. के प्रावधान लागू नहीं होते एवं आदेश 33 नियम 1(4) सपठित ऑर्डर–2 नियम–2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत भी तलबी की स्टेज पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। इन कानूनी बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित चार किता की 45 बीघा 19 बिस्वा आराजी अपीलान्ट्स/वादीगण के कब्जे काश्त की स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के सेटलमेंन्ट के पूर्व खसरा नम्बर–1441/393 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर–594, 2924/598, 2583/559 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, 2922/593 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 2987/393, 404 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 2414/420, 423 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा, कुल रकबा 52 बीघा था। जिसमें पूर्व खसरा नम्बर–2414/420, 427 की 27 बीघा 4 बिस्वा आराजी जिसका हाल खसरा नम्बर–956 की 24 बीघा है। यह आराजी रेस्पोडेन्ट 6 लगायत 10 के पिता भैरूलाल के गलत रूप से दर्ज की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से पूर्णतया साबित था कि पूर्व खसरा नम्बर 2414/420, 427 की 27 बीघा 4 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर–956 की 24 बीघा है। यह आराजी रामगोपाल आत्मज कंवरलाल महाजन के खाते की थी जिस पर अपीलान्ट के दादा मथुरालाल सम्वत् 2005 से ही जेली/उपकृषक की हैसियत से मालिक व काबिज चला आ रहा था एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभावशील होने की दिनांक 15.10.1955 अर्थात् सम्वत् 2005 से ही जेली की हैसियत से काबिज चला आ रहा था इस कारण उक्त आराजी अपीलान्ट्स के दादा मथुरालाल के खाते दर्ज कर दी गई परन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता भैरूलाल पुलिस विभाग में नौकरी करने के कारण उसने अपने प्रभाव से उक्त आराजी पर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया जबकि कब्जा आज तक अपीलान्ट्स का चला आ रहा है। इस कारण उक्त आराजी से भैरूलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी क्रम–6 लगायत 10 का नाम डिलीट होने योग्य है एवं अपीलान्ट/वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स कम 11 का नाम उक्त आराजी पर एक मात्र रूप से खातेदारी में दर्ज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम–6 लगायत 10 की माता मृतक दांखा बाई ने अपीलान्ट के दादा अर्थात् अपीलान्ट के पिता के पिता मथुरालाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में एक वाद संख्या 385/1971 अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत दांखा बाई व अन्य बनाम मथुरालाल के नाम ही पेश किया जो खारिज कर दिया गया एवं रिसीवर नियुक्ति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिनांक 09.11.1971 को पारित किया गया जिसकी अपीलान्ट्स के दादा मथुरालाल द्वारा अपील पेश की गई जिसमें राजस्व मण्डल से दिनांक 11.01.1972 को स्टे जारी किया गया एवं पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रेषित होने पर उन्होंने रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिनांक 09.11.1971 अपने निर्णय दिनांक 12.05.1972 के द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे भी उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा साबित होता है। रेस्पोडेन्ट कम–6 लगायत 10 के पूर्वज ने भी अपने जीवनकाल में अपीलान्ट्स के दादा मथुरालाल के विरुद्ध विवादित भूमि में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आधा हिस्सा लेने बाबत् दावे प्रस्तुत किये पहला दावा दिनांक 15.01.1962 को खारिज किया गया, दूसरा दावा दिनांक 26.12.1967 को खारिज किया गया एवं तीसरा दावा भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा सन् 1973 में खारिज कर दिया गया। इन तथ्यों को भी नजरअंदाज कर अपीलान्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी खसरा नम्बर–956 की 24 बीघा आराजी के अलावा शेष आराजी दावे में वर्णित सजरे के अनुसार मृतक मथुरालाल एवं भैरूलाल के खाते की थी परन्तु लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के समय काफी कर्जा था इसलिए रेस्पोडेन्ट कम–6 लगायत 10 के पिता भैरूलाल एवं अपीलान्ट्स के दादा मथुरालाल के बीच यह समझौता हुआ कि भैरूलाल, पिता लक्ष्मीनारायण द्वारा छोड़ी जमीन जायदाद पर किसी प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं रहेगा, कर्जा मथुरालाल ही अदा करेगा, इस प्रकार भैरूलाल ने अपने पिता के अपने हिस्से के कर्जे की ऐवज में अपना हिस्सा छोड़ने का समझौता कर लिया। इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम–6 लगायत 10 का वाद वाद की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा। इन तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। रेस्पोडेंट ने अपने पिता भैरू लाल एवं भैरूलाल की पत्नी दाखा बाई ने उपरोक्त समझौते के आधार पर ही विवादित आराजी के मामले में प्रस्तुत बंटवारे के दावे में कोई कार्यवाही नहीं कर दावा खारिज करवा लिया, परन्तु रेस्पोडेंन्ट्स का नाम विवादित आराजी में दर्ज हो जाने के कारण उन्हें अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर विवादित आराज़ी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। दावे में वर्णित आधार पर प्रतिवादीगण का नाम विवादित आराजी से डिलीट होने योग्य है। यह कानूनी बिन्दु भी बाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है। विवादित आराजी के मामले में समझौता कर लेने के कारण एवं बंटवारे का दावा खारिज करवा लेने के कारण भैरूलाल का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं रहा, न ही कब्जा रहा, इस कारण रेस्पोडेंट्स के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं। वह किसी भी कार्यवाही करने के लिए एस्टोप्ड है एवं अपीलान्ट्स विवादित सम्पूर्ण आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है एवं रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित आराजी के मामले में योग्य अधीनस्थ न्यायलय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 10 के द्वारा भी बंटवारा का वाद पेश कर रखा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के बंटवारा व घोषणा के वाद को सी. पी. सी. के उक्त प्रावधानों के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। कानूनन रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद को कंसोलिडेट करते हुए विधि सम्मत् तरीके से प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। वादीगण कम 4 धीरज बाई का दौराने वाद देहान्त हो जाने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि उसके पुत्र व पुत्री अपीलान्ट कम 1 लगायत 3 एवं रेस्पोडेंट कम 11 पुत्री बीना दावे में पूर्व से ही पक्षकार है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर का निर्णय दिनांक 04.08. 2022 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत–4 वाद संख्या–695/2017 बाबत् बंटवारा व घोषणा, बउनवान अमरीश बनाम नवनीत में शेष प्रतिवादीगण की तलबी करते हुए, जवाब दावा प्राप्त कर तनकियात कायम कर एवं दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण फरमाया जावे।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी. पी. सी पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में ज़ेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.08.2022 में वर्णित आराजी कुल रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा के मामले में रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 10 में भी अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर टी एक्ट के तहत, मुकदमा संख्या 688/दावा/2017 बउनवान नवनीत बनाम अमरीश पेश कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.08.2023 नियत है। जिसमें अपीलान्ट द्वारा धारा 10 एवं 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, जवाब हेतु दिनांक 22.08.2023 नियत है। न्यायहित में एवं अपील के उचित निर्णय हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दावे से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज माननीय न्यायालय में पेश किये जाने आवश्यक है–

1 प्रमाणित प्रतिवाद–पत्र दिनांक 23.03.2017 वाद संख्या 688/दावा/2017 बउनवान नवनीत बनाम अमरीश व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर, जिला झालावाड

(दीप्ति राघवचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 प्रति आदेशिका दिनांक 23.03.2017 से 21.10.2023 वाद संख्या 688/दावा/2017 बउनवान नवनीत बनाम अमरीश व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर, जिला झालावाड

उक्त दस्तावेज रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 10 द्वारा प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित दस्तावेज है। जिनके किसी भी प्रकार से असत्य होने की सम्भावना नहीं है एवं इन्हें अपील में रिकॉर्ड पर लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न उक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के निर्णय दिनांक 04.08.2022 जो प्रकरण संख्या 659/2017 बउनवान अमरीश बनाम नवनीत वगैरा में पारित किया गया है के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 के तहत पेश किया था, परन्तु दौराने सुनवायी दावा तलबी की स्टेज पर प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा विचारणीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, आदेश 23 नियम 1(4) सपठित आर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया कि वादी ने सन् 2016 में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 209 के तहत पेश किया था, जो विड्रो कर लिया। ऐसी स्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1/प्रतिवादी क्रम 1 नवनीत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. व अन्य प्रावधान विवादित मामले में लागू नहीं होते है। वादी का वाद किसी भी कानून से बाधित नहीं है पूर्व का वाद मात्र घोषणा बाबत था, परन्तु वर्तमान वाद में वादी द्वारा बंटवारे की भी सहायता चाही है एवं दोनो वाद का कॉज ऑफ एक्शन भी अलग अलग है व पूर्व वाद का निर्णय मेरिट पर नहीं हुआ, वादी के द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये यह बाद साक्ष्य ही तय किये जा सकते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधार पर तलबी की स्टेज पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता। वर्तमान वाद में तथ्य एवं विधि का प्रश्न निहित है, जो बाद साक्ष्य ही निर्णीत किया जा सकता है। वादी के द्वारा कोई तथ्य छिपाकर वाद पेश नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 04.08.2022 को अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, इसलिये अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रकरण प्रतिवादी क्रम 11 की तलबी में चल रहा था और इसी स्टेज पर वादीगण का वाद आर्डर 7 नियम 11 एवं आदेश 23 नियम 1 (4) सपठित आदेश 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी पी सी के प्रावधानो को नजर अन्दाज कर प्रतिवादी क्रम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 नवनीत के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी व अन्य में जो तथ्य अंकित किये है उनका निर्णय साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकता पूर्व वाद संख्या 754/2016 घोषणात्मक था जो विड्रो किया गया, बाद का वाद संख्या 659/2017 घोषणा व भूमि बंटवारा हेतु वाद है कानूनन घोषणा एवं भूमि का बंटवारा हेतु वाद जो आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों के तहत व अन्य विधि द्वारा वर्जित नहीं है। वाद की पोषणीयता वाद पत्र में यह कथनों के आधार पर निर्णित की जा सकती है अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया व सभी बचावों को जवाब दावे में उठा सकता है। वाद में विधि एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दु अन्तर्विलित है मिश्रित प्रश्नों को निर्णित करने हेतु साक्ष्य लेखबद्ध करना आवश्यक है। कानूनन तलबी की स्टेज पर वाद पत्र के अलावा और कोई सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता प्रारम्भिक स्थिति पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11 सी पी सी व अन्य में उठाये आधार वाद को खारिज करने हेतु पर्याप्त नहीं है। विवादित मामले में पूर्व वाद संख्या 754/2016 उनवान अमरीश बनाम नवनीत एवं नये वाद 659/17 की धाराये भी अलग अलग है और कॉज ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। ऐसी स्थिति में आर्डर 2 नियम 2 व अन्य प्रावधान भी विवादित मामले में लागू नहीं होते है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है कि विवादित 45 बीघा 19 बिस्वा आराजी अपीलान्ट/वादीगण के कब्जे व काश्त की आराजी है उक्त आराजी के सेटलमेंन्ट के पूर्व खसरा नम्बर 1441/393 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 595, 2924/598, 2583/559 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2922/593 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 2987/393, 404 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 2414/420, 423 रकबा 27 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 52 बीघा था जिसमें पूर्व खसरा नम्बर 2414/420, 427 की 27 बीघा 4 बिस्वा आराजी जिसका हाल खसरा नम्बर 956 की 24 बीघा है यह आराजी रेस्पोडेन्ट 6 लगायत 10 के पिता भैरूलाल के भी गलत खाते दर्ज की गई। यह आराजी रामगोपाल आत्मज कंवरलाल महाजन के खाते की थी जिस पर अपीलान्ट के दादा मथुरालाल सम्वत 2005 से ही जैली उपकृषक की हैसियत से मालिक एवं काबिज चला आ रहा था, एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभावशाली होने की दिनांक 15.10.55 अर्थात सम्वत 2005 से ही जेली की हैसियत से काबिज चला आ रहा था, इस कारण उक्त आराजी अपीलान्ट के दादा मथुरालाल के खाते दर्ज कर दी गई परन्तु रेस्पोडेन्ट के पिता भैरूलाल पुलिस विभाग में नौकरी करने के कारण अपने प्रभाव से उक्त आराजी पर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया जबकि कब्जा आज तक अपीलान्ट का ही चला आ रहा है, इस कारण उक्त आराजी से भैरूलाल के वारिसान रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 10 का नाम डिलीट होने योग्य है एवं अपीलान्ट/वादीगण एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 11 का नाम एक मात्र रूप से खातेदारी में दर्ज होने योग्य है। यह कानूनी बिन्दु भी अधीनस्थ न्यायालय में बाद साक्ष्य ही तय हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से भी यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 6 लगायत 10 की माता मृतक दाखा बाई ने अपीलान्ट के दादा अर्थात अपीलान्ट के पिता के पिता मथुरालाल के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में एक वाद संख्या 385/1971 अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट के तहत दाखा बाई व अन्य बनाम मथुरालाल के नाम पेश किया जो खारिज कर दिया गया एवं रिसीवर नियुक्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर रिसीवरी करने का आदेश दिनांक 09.11.1971 को पारित किया गया। जिसकी अपीलान्ट के दादा मथुरालाल के द्वारा अपील पेश की गई जिसमें राजस्व मण्डल से दिनांक 11.01.1972 को स्टे जारी किया गया एवं पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रेषित होने पर उन्होंने रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिनांक 09.11.1971 अपने निर्णय दिनांक 12.05.1972 के द्वारा खारिज कर दिया गया, इससे भी उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा साबित होता है। रेस्पोडेन्ट क्रम 6 लगायत 10 के पूर्वजों ने भी अपने जीवनकाल में अपीलान्ट के दादा मथुरालाल के विरुद्ध विवादित भूमि पर आधा हिस्सा लेने बाबत दावा प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.01.1962 को खारिज किया गया और दूसरा दावा दिनांक 26.12.1967 को खारिज किया गया एवं तीसरा दावा भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा सन् 73 में खारिज किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 956 की 24 बीघा आराजी के अलावा शेष आराजी दावे में वर्णित सजरे के अनुसार मृतक मथुरालाल व भैरूलाल के खाते की बची परन्तु इन दोनों के पिता लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के समय काफी कर्जा था इसलिये रेस्पोडेन्ट क्रम 6 लगायत 10 के पिता भैरूलाल एवं अपीलान्ट्स के दादा मथुरालाल के बीच यह समझोता हुआ कि भैरूलाल अपने पिता लक्ष्मीनारयण द्वारा छोडी गई जमीन जायदाद पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा, परन्तु कर्जा मथुरालाल ही अदा करेगा। इस प्रकार कब्जे की ऐवज में भैरूलाल ने अपना हिस्सा छोडने का समझोता कर लिया। इस प्रकार वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी में रेस्पोडेन्ट 6 लगायत 10 का भी कोई शेष हिस्सा नहीं रहा।

अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी 45 बीघा 19 बिस्वा के मामले में भी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 10 ने भी अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर टी एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 688/दावा/2017 बउनवान नवनीत बनाम अमरीश दिनांक 23.03.2017 को पेश किया था जिसमें आगामी तारीख 22.08.2023 नियत है। जिसमें अपीलान्ट अमरीश वगैराह ने नवनीत द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया है एवं अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलान्ट का जो वाद 659/17 खारिज किया है यह वाद अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.02.2017 को पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का वाद तलबी की स्टेज पर खारिज नहीं कर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 659/17 एवं रेस्पोडेन्ट नवनीत के द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 688/17 में पक्षकार समान एवं विवादित आराजी भी समान होने के कारण दोनों वाद कन्सोलीडेट कर विधिवत तरीके से निर्णय पारित करना चाहिये था, ताकि पक्षकारान में अनावश्यक विवाद न बढे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विवादित मामले में दोनों पक्षों की ओर से कई वाद

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत हो चुके है एवं विवादित आराजी के मामले में ही रेस्पोडेन्ट नवनीत द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 688/2017 जिसमें आगामी तारीख पेशी 22.08.23 नियत है एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.22 के द्वारा अपीलान्ट का जो वाद खारिज किया गया है उक्त दोनों वाद कानूनन कन्सोलीडेट किये जाकर अग्रिम सुनवायी किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त परिस्थिति में किस पक्ष का वाद चलेगा या किस पक्ष का वाद खारिज होगा यह बिन्दु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में तलबी की स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद के मामले में आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. एवं आदेश 23 नियम 1(4) सपठित आर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन प्रावधानों पर एवं दावे में वर्णित कथनों पर उचित गौर नहीं फरमाकर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.08.22 निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ रिमान्ड फरमाया जावे कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 659/17 बनवान अमरीश बनाम नवनीत जो दिनांक 14.02.17 को पेश किया गया है उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट नवनीत वगैराह द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 688/17 बउनवान नवनीत बनाम अमरीश जो दिनांक 23.03.17 को पेश किया गया को कन्सोलीडेट किया जाकर विधि सम्मत तरीके से तलबी पक्षकारान करवाते हुए जवाब व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये एवं तनकीवाईज निर्णय पारित करते हुए एवं पूर्व में विवादित आराजी के मामले में हुए निर्णय को मध्य नजर रखते हुए पुनः निर्णय पारित करें ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक नजीरे पेश की –

1– 2017 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 574 – सी.पी.सी. – ऑर्डर 2 नियम 2 – वाद कारण भिन्न हो तो पश्चातवर्ती वाद बाधित नहीं है।

2– 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 265 – आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. – घोषणा व बंटवारा हेतु वाद– वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

3– 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 63 – सी.पी.सी. सेक्शन 11 – भिन्न अनुतोष के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया – निर्णित आदेश में अवैधता नहीं है। रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जहां अनुतोष भिन्न हो रेसज्यूडिकेटा लागू नहीं होता।

4– 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 264 – आदेश 7 नियम 11 – साक्ष्य का प्रार्थना पत्र पेश किया–प्रार्थी के विरूद्ध घोषणा एवं विभाजन का वाद, वाद में विधि एवं तथ्य का प्रश्न अन्तर्वलित है प्रारम्भिक स्तर पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता।

5– 2015 डी.एन.जे. एस.सी. पेज 242 – वाद के अभिकथन सम्पूर्ण पढ़े जावेगे।

6– 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 518 – आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.– केवल वाद पत्र में किये प्रकथनों को इस स्टेज पर विचारित किया जा सकता– प्रार्थी ने जवाबदावा पेश नहीं किया। वह सभी बचाओं को जवाबदावे में उठा सकता है – प्रार्थना पत्र खारिज करना सही माना।

7– 2016 (1) डी.एन.जे. (राजस्थान) पेज 1141 (ए) एच.सी. – आदेश 7 नियम 11 – मिश्रित प्रश्नों को निर्णित करने हेतु साक्ष्य लेख बद्ध करना आवश्यक है।

8– 2021 (2) आर.आर.टी. पेज 1480 एस.सी. – उच्च न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पुष्ट किया – प्रार्थना पत्र सही खारिज किया क्योंकि इस प्रकय पर वाद के अलावा ओर कोई सामानती पर विचार नहीं किया जा सकता।

9– 2007–08 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 251 – बंटवारे के दावे को आदेश 7 नियम 11 (2) के तहत खारिज नही किया जा सकता।

10– 2014–15 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 446 सी.पी.सी.– आदेश 2 नियम 2 व आदेश 7 नियम 11 – वाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। यदि मामले के गुणावगुण पर विचार करना आवश्यक हो– इस स्टेज पर केवल वाद पत्र में किये प्रकथनों को देखा जा सकता है। उठायी गयी आपत्तियां साक्ष्य लेख बद्ध करने के बाद निर्णित की जा सकती है निगरानी खारिज की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11– 2021 (आर.आर.टी. पेज 1247 – सी.पी.सी. – आदेश 7 नियम 11 – आदेश 2 – नियम 2 — वाद पत्र खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया– उठाये गये प्रश्न तथ्यों व विधि के मिश्रित प्रश्न है – उनका निर्णय तनकी के साथ हो सकता है। ना कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र से।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं० 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 9 ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोलाना, तहसील खानपुर में वादीगण अपीलान्ट एवं प्रतिवादी रेस्पो० के शानलाती खाते एवं कब्जे में खसरा नं0 311 की 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 879 की 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 882 की 2 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नं0 956 की 24 बीघा कुल चार किता की 45 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। इस भूमि में श्री नन्द किशोर जी का 1/4 हिस्सा, श्री राम किशोर जी का 1/4 एवं श्री भैरूलाल जी का 1/2 हिस्सा है। वादीगण अमरीश, राजेश, मधुबाला, धीरज देवी, एवं प्रतिवादी कम 11 बीना श्री नन्द किशोर जी के वारिस है, तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 नवनीत, स्नेह, भुवनेश, करूणा एवं अन्नू श्री राम किशोर जी के वारिस है, तथा प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 10 सुरेन्द्र, नरेन्द्र, श्रीमती मालती एवं श्रीमती संतोष तथा आशा श्री भैरूलाल जी के वारिस हैं। प्रस्तुत वाद से पूर्व श्री नन्द किशोर के वारिसान ने जो इस वाद में वादीगण नं० 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादी कम 11 है, एक वाद सं० 754/16 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में पेश किया था, जिसका उनवान श्री अमरीश आदि बनाम श्री नवनीत आदि था।

उक्त वाद में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 11 (जो उस वाद में वादनी ही थी) ने इस कथन के साथ वाद पेश किया था कि प्रतिवादीगण कम 6, 7, 8, 9 एवं 10 सुरेन्द्र, नरेन्द्र, श्रीमती मालती एवं श्रीमती संतोष एवं आशा के पिता खातेदार श्री भेरुलाल जी ने उनके कोई पुत्र नहीं होने के कारण अपने भाई के लड़के श्री नन्द किशोर को जब वह करीब 12 वर्ष की उम्र का था, गोद ले लया था। उक्त गोद पूर्ण एवं कानूनी प्रावधानों के अनुरूप था, तथा जाति समाज के सामने लिया गया था। श्री नन्द किशोर जी अपने दत्तक पिता श्री भैरूलाल जी के साथ ही पुत्रवत रहे, एवं श्री भैरूलाल जी की सम्पति के उत्तराधिकारी बने। श्री भेरुलाल जी का दाह संस्कार भी नन्द किशोर जी ने ही किया था, तथा उनकी पगड़ी भी श्री नन्द किशोर के ही बंधी थी, और इस प्रकार श्री नन्द किशोर भैरूलाल जी के परिवार के सदस्य बन गये थे। वादीगण के उक्त कथन के आधार पर गोद लिये जाने के उपरान्त श्री नन्द किशोर जी का श्री नथुरालाल जी के परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था, और श्री नथुरालाल जी के एक मात्र उत्तराधिकारी श्री रामकिशोर जी रहे, और इस कारण इस भूमि में राम किशोर जी का 1/2 हिस्सा एवं श्री भैरूलाल जी के वारिसान जिसमें नन्द किशोर जी भी शामिल थे का 1/2 हिस्सा था। वादीगण ने उक्त वाद सं0 754/2016 दिनांक 19.04 2017 को अपनी स्वेच्छा से विड्रो कर लिया। श्री नन्द किशोर जी के वारिसान वादीगण अपीलान्ट ने श्री नन्द किशोर जी की पुत्री जो पूर्व वाद में वादनी थी, को प्रतिवादी कम 11 बना कर यह वाद सं0 659/17 पेश किया है। यह वाद पूर्णतया असत्य व निराधार तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। इस वाद एवं पूर्व वाद के तथ्यों में पूर्णतया विरोधाभास है। वादी अपीलान्ट द्वारा पूर्व वाद को न्यायालय से दूसरा दावा पेश करने की इजाजत लिये बिना ही दावा विड्रो कर, नये तथ्यों के आधार पर नया वाद पेश करने पर प्रतिवादीगण रेस्पो० ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 7 नियम 11, आदेश 2 नियम 2, आदेश 23 नियम 1 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत वाद खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.08.2022 से स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

पक्षकार द्वारा न्यायालय से अनुमति लिये बिना यदि दावा विड्रो किया जाता है, तो वादी आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत दूसरा दावा पेश नहीं कर सकता है, इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है,

(1) 2003 (2) डी. एन. जे. (राज.) पेज 1001
(2) 2007 (1) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 33
(3) 2004 (2) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 887
(4) ए. आई. आर. 2008 (2) एस0सी पेज 804
(5) ए. आई. आर. 2008 एस0सी पेज 1222

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादीगण ने अपने पूर्व वाद में श्री नन्द किशोर जी को श्री भैरूलाल जी के यहां गोद जाना माना है, और इस कारण उनका हक सिर्फ भैरूलाल जी के हिस्से की भूमि में ही बनता है, अपने पूर्व कथन से वादीगण पाबन्द है, तथा पूर्व कथन को नहीं बदल सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्न निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है–

(1) 2003 (3) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 1891
(2) 2013 (3) डी. एन. जे. (सु०को0) पेज 513
(3) ए. आई. आर. 2010 एस0सी पेज 2077

वादी का यह कथन कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय सिर्फ दावे को ही देखना चाहिए, स्वीकार नहीं है। कानूनन प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया वह दस्तावेज जिसको वादी भी स्वीकार करता है, प्रार्थना पत्र के निर्णय के समय देखा जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा पूर्व में वाद पेश करना अपने जवाब में स्वीकार किया है। इसलिए पूर्व वाद की पेश की गई प्रमाणित प्रतिलिपि से प्रतिवादी के कथन की पुष्टि होती है, का भी अवलोकन करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2018 (1) आर. आर. टी. पेज 534 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

पश्चातवर्ती वाद में यदि पूर्व वाद का उल्लेख नहीं किया गया है, और इस तथ्य को छिपाया गया है, तो पश्चातवर्ती वाद आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत निरस्तनीय है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2015 (2) सी. डी. आर. पेज 688 (राज0) अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने यह माना है कि यदि वाद असत्य एवं निराधार तथ्यों के आधार पर एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत, न्यायालय प्रक्रिया के दुरूपयोग के उद्देश्य से पेश किया गया है, तो ऐसे तुच्छ वाद को प्रारम्भिक स्टेज पर ही निरस्त कर देना चाहिए, इस सम्बन्ध में निम्न निर्णय अवलोकनार्थ प्रस्तुत है–

(1) 2008 (2) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 1390

(2) 2013 (1) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 81

(3) 2021 (1) आर. आर. टी. पेज 535

अपीलान्ट का यह कथन कि पूर्व वाद सिर्फ घोषणा का था, और यह वाद घोषणा एवं बंटवारे का है, इसलिए पश्चातवर्ती वाद पोषणीय है, उचित नहीं है। क्योंकि पश्चातवर्ती वाद को पढने से पता चलाता है कि इस वाद में पूर्व के वाद में जो वादीगण है, उन्होंने ही सम्पूर्ण भूमि में अपना अधिकार होना मान कर आपस में ही बटंवारे की प्रार्थना की है। कानूनन आर्डर 2 नियम 2 के तहत सारा अनुतोष वादीगण को पूर्व वाद में ही प्राप्त करना चाहिए था। पश्चातवर्ती वाद में कुछ शब्दों का परिवतन एवं चतुराईपूर्ण तरीके से वादपत्र लेखन से पश्चातवर्ती वाद इन प्रावधानों के तहत पेश नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में (1) 2003 (2) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 1001, 2018 (1) डी. एन. जे. (राज.) पेज 328 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

अतः मौखिक साक्ष्य के साथ यह लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि परीक्षण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन करके ही वादीगण अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया पश्चातवर्ती वाद खारिज करते हुए अपना निर्णय एवं डिकी पारित की है, जो पूर्णतया न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा कतई निराधार तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है, अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मय खर्चा खारिज फरमाते हुए, परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बहाल फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. में प्रस्तुत दस्तावेज रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद से सम्बन्धित है जिसका प्रस्तुत अपील से सीधा सम्बन्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में वाद संख्या 754/2016 अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आदेशिका की छायाप्रति के अनुसार दिनांक 19.04.2017 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विड्रो करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया था। तत्पश्चात वादी द्वारा पुनः उसी वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 659/17 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं आर्डर 23 नियम 1 (4) सपठित आर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर अपने आदेश दिनांक 04.08.2022 में यह अंकित किया कि वादी द्वारा पूर्व में समान वाद हेतुक एवं सामान वादी व प्रतिवादीगण का एक वाद सं. 754/2016 बिना नये वाद संस्थित करने की अनुमति के विड्रो किया गया था। अतः वादी पुनः समान वाद पेश करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11, 23, 1 (4) सपठित आर्डर 2 नियम 2 धारा 151 सी पी सी स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण का वाद पत्र सं. 659/2017 खारिज किया जाता है, जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर का निर्णय दिनांक 04.08.2022 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 695/2017 बाबत बंटवारा व घोषणा, बउनवान अमरीश बनाम नवनीत में शेष प्रतिवादीगण की तलबी करते हुए जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावे। वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 754/2016 में यह कथन किया था कि भैरूलाल के पुत्र नहीं होने से उन्होंने अपने भाई के लड़के नन्दकिशोर को लगभग 12 वर्ष की उम्र में 55–60 वर्ष पूर्व जाति बिरादरी के रिती–रिवाजों के अनुसार गोद लिया था, इस तथ्य को प्रस्तुत नवीन वाद संख्या 659/2017 में अंकित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए अन्य वाद प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 754/2016 एवं वर्तमान में प्रस्तुत वाद संख्या 659/2017 में सन्दर्भित वादग्रस्त आराजी समान है एवं वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों वाद के पक्षकारान भी समान है। वादी द्वारा वाद संख्या 754/2016 नये वाद संस्थित करने की अनुमति प्राप्त किये बिना ही विड्रो किया गया था। जहां वादी न्यायालय से अनुमति लिये बिना ही अपना वाद विड्रो करता है, तो वादी आदेश 23 नियम 1 (4) सी. पी. सी. के तहत नया वाद संस्थित करने से प्रवारित है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रस्तुत नजीरे 2003 (2) डी. एन. जे. (राज.) पेज 1001, 2007 (1) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 33 व 2004 (2) आर. एल. डब्ल्यू. (राज.) पेज 887 यहां चस्पा होती है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. आर्डर 23 नियम 1 (4) सपठित आर्डर 2 नियम 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए दिनांक 04.08.2022 को पारित निर्णय विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने से हम अपील के इस स्तर पर इनमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा